नकल छायाप्रति आदेश दि० 31-12-12 वाद सं० 6/2012 धारा-143 ZA Act पक्षकार रठौरा नगला नींव परग० शम्० पूर्वी न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर

CPN-568

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर फर्रुखाबाद ।

वाद संख्या-16/2012 धारा-143 ज०वि०अ०

ग्राम-रठौरा नगला नींव परगना-शमसाबाद पूर्वी

श्याम पाल सिंह प्रबन्धक/सचिव चौ० गजराज सिंह डिग्री कालेज यशोदानगर रठौरा ताजपुर फर्रुखाबाद ।

बनाम

सरकार

निर्णय

x-------x

प्रस्तुत वाद श्यामपाल सिंह, प्रबन्धक/सचिव चौ० गजराज सिंह डिग्री कालेज यशोदानगर रठौरा ताजपुर फर्रुखाबाद ने दिनांक 23-3-2010 को इस कथन के साथ संस्थित किया गया है कि ग्राम रठौरा नगला नींव परगना शम०पू० स्थित गाटा संख्या 293/2.002हे० भूमि चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज का भवन बन चुका है। अब कृषि कार्य नहीं हो रहा है । अतः उक्त आराजी को अकृषिक भूमि घोषित कर दिये जाने का अनुरोध किया गया है । वाद पत्र के समर्थन में नकल खतौनी 1417-1422 फसली, इन्तखाब खसरा 1417, सी०एच० 41 व 45 व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद से जाँच आख्या निर्धारित प्रारूप पर वांछित की गई । तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद ने वाद पत्र की जाँच करके जाँच आख्या निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 30-11-12 को प्रेषित की है, जिसमें उन्होंने उल्लिखित किया है कि ग्राम रठौरा नगला नींव परगना शम०पूर्व स्थित गाटा संख्या 293रकबा 2.002 हे० पर मौके पर उक्त डिग्री कालेज का भवन बन चुका है । तथा गाटा संख्या 293 में कृषि बागवानी अथवा कुक्कुट पालन आदि कोई कार्य नहीं होता है । भूमि अकृषिक है । उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक/ आबादी घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की है ।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, सदर फर्रुखाबाद की आख्या दिनांक 30-11-12 एवं नकल खतौनी 1417-1422 व इन्तखाब खसरा 1417 का सम्यक रूप से परिशीलन करने से स्पष्ट है कि ग्राम रठौरा नगला नींव परगना शम०पू० के गाटा संख्या 293 पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है तथा रकबा 2.002 पर चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज का भवन बना हुआ है । जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

राजस्व अभिलेखागार फर्रुखाबाद

P.T.O.

---/2/---

आदेश

x————x

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर चौ० गजराज सिंह डिग्री कालेज खादीदा नगर रठौरा द्वारा प्रबन्धक श्यामपाल सिंह निवासी टिलिया बं०ताजपुर के नाम ग्राम रठौरा नमला नौंव परगना शा०पूर्व तहसील सदर की खतौनी 1417-1422 फसली के गाटा संख्या 293 रकबा 2.214हे0 में से 2.002हे0 भूमि को ज0वि0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0अ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार फर्रुखाबाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर फर्रुखाबाद एवं एक प्रति उप निबन्धक सदर फर्रुखाबाद को तद्नुसार भू- अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

3/4/12

उप जिलाधिकारी, सदर
फर्रुखाबाद।

राजस्व अभिलेखागार फर्रुखाबाद

निरस्त

निरस्त

निरस्त

प्रार्थना पत्र संख्या 10243
दिनांक 28-6-22
प्रार्थी का नाम महेश चन्द्र यादव
तैयारी का दिनांक 29-6-22
वितरण का दिनांक 29-6-22
दफ्तीवाला 3-132

नकल छायाप्रति जारीकर्ता

सत्य प्रतिलिपि

29/6/22

राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, फर्रुखाबाद